उपायुक्त का कार्यालय, चतरा
M-670
23 OCT 2018
गोपनीय शाखा

D I O
NIC
23/10/18

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई0–गवर्नेंस विभाग

प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची।

संकल्प

विषयः झारखण्ड राज्य में CSC version 2.0 के अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर (प्रज्ञा केंद्र) के माध्यम से आम जनता को विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सूचना एवं सेवा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से प्राप्त सेवा शुल्क दरों का पुनर्निधारण।

झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के अंतर्गत ग्रामीण जनता को लाभान्वित करने हेतु सभी पंचायतों तथा अन्य क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर (प्रज्ञा केंद्र) स्थापित की गयी है। इस परियोजना के तहत प्रज्ञा केन्द्रों पर सुगमता से तथा उचित मूल्य पर ग्रामीण जनता को सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग के माध्यम से सरकारी एवं गैर सरकारी सेवा उपलब्ध कराया जाता है।

2. प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से उपलब्ध सरकारी सेवाओं को प्रदान करना बाध्यकारी है। इसके अलावा उन्हें अन्य गैर सरकारी तथा व्यावसायिक सेवा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सर्विस डेलिवरी का एक अतिरिक्त माध्यम है। इस माध्यम से सेवा लेना नागरिकों अथवा सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

3. परियोजना के प्रावधान के अनुसार प्रज्ञा केन्द्रों को सेवा शुल्क के साथ सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रज्ञा केन्द्रों द्वारा लिया जाने वाला सेवा शुल्क एवं Stakeholder के हिस्से की राशि को निर्धारित किया जाता है।

4. 14वें वित्त आयोग द्वारा प्रत्येक तीन पंचायत हेतु एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की गयी है एवं साथ ही साथ सामान्यतः सभी पंचायतों में कम्प्यूटर (प्रिंटर सहित) अधिष्ठापित है। अतः पंचायत भवनों में जाति आय प्रमाण–पत्र इत्यादि निःशुल्क निर्गत करने हेतु इन कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के द्वारा ऑनलाईन सिस्टम में प्रविष्ट की जा रही है।

5. CSC परियोजनार्थ गठित प्राधिकृत समिति द्वारा आमजनों द्वारा लिये जा रहे शुल्कों में से CSC2.0 के अनुसार VLEs को कम से कम 80% Share दिये जाने को स्वीकृति प्रदान की है, अतः पूर्व में निर्धारित सेवा शुल्कों के पुनः निर्धारण की आवश्यकता है। चूंकि राज्य में अब प्रज्ञा केन्द्रों का संचालन SCA के EXIT के बाद DeGS सोसाइटी द्वारा किया जाता है अतः SCA के हिस्से की राशि DeGS सोसाइटी को देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्राधिकृत समिति द्वारा आमजनों द्वारा भुगतान किये जा रहे शुल्कों को विभिन्न Stakeholders के बीच निम्नवत् विभक्त करने का निर्णय पर सहमति प्रदान की हैः

क. SCA कार्यरत रहने पर

Stakeholder	Percentage Share	Example on Rs. 30 (round off to Two digit after decimal)
VLE	80%	Rs. 24.00
DeGS	33.33% of (Rest 20%)	Rs. 02.00
SDA	33.34% of (Rest 20%)	Rs. 02.00
SCA	30.83% of (Rest 20%)	Rs. 01.85
CSC-SPV	02.50% of (Rest 20%)	Rs. 00.15

12/10/18

Skr. 11.10.18

ख. SCA कार्यरत नहीं रहने पर

Stakeholder	Percentage Share	Example on Rs. 30 (round off to Two digit after decimal)
VLE	80%	Rs. 24.00
DeGS	64.16% of (Rest 20%)	Rs. 03.85
SDA	33.34% of (Rest 20%)	Rs. 02.00
CSC-SPV	02.50% of (Rest 20%)	Rs. 00.15

6. विभाग द्वारा प्रज्ञा केन्द्रों के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं का शुल्क निर्धारण अंतिम बार विभागीय संकल्प सं0 1523 दिनांक 17.11.2012 को की थी। इसकी कम सं0 –3 को संशोधित करते हुए निर्धारित सेवा शुल्क 30/– रू0 में से 10/– रू0 मात्र ही नागरिकों द्वारा देय होने एवं VLE को देय शेष राशि का वहन सरकार द्वारा जैप–आई0टी0 के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति विभागीय संकल्प सं0–2697 दिनांक 07.09.17 द्वारा की गई, परन्तु इस व्यवस्था से प्रज्ञा केन्द्रों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई, कुछ जगहों पर VLEs द्वारा इस व्यवस्था का विरोध किया जाने लगा, क्योंकि यह राशि प्रति प्रमाण पत्रों के एवज् में कम थी और सरकार से शेष राशि प्राप्त करने में कई तरह के Verification Process से गुजरना पड़ता है। साथ ही कई जगहों पर VLEs द्वारा आम जनता से 30 रू0 लिये जाने के साथ–साथ सरकार से भी राशि प्राप्त करने का प्रयास किया गया। उक्त व्यवस्था में यह भी परेशानी है कि प्रमाण पत्र निर्गत करने का दायित्व जिला स्तर पर होता है और कभी कभी इन प्रमाण पत्रों के आवेदन के समय आवेदक द्वारा की गई गलती का नुकसान VLEs को उठाना पड़ता रहा है। जिससे इस व्यवस्था के लागू होने के बाद CSCs की संख्या काफी कम हुई है। प्रज्ञा केन्द्र सरकार व जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके माध्यम से सरकार द्वारा विभिन्न सेवायें जन मानस को पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराती है। अतः सरकार द्वारा संकल्प संख्या 2697 दिनांक 07.09.17 को निरस्त करने व पूर्व में निर्गत संकल्प सं0 1523 दिनांक 17.11.12 में कुछ सेवाओं का समायोजन कर इसे पुनर्निधारित करने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त कंडिकाओं के आलोक में सेवा शुल्कों का पुनर्निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :-

क. SCA कार्यरत रहने पर

Sl. No	Type Of Service	Charge to Citizen (Rs)	VLE Share (Rs)	DeGS Share (Rs)	SDA Share (Rs)	SCA Share (Rs)	CSC SPV Share	Remarks
1	Information Services	3.00	3.00	NIL	NIL	NIL	NIL	Re 1.00 per page to be charged extra for prints of the requested information ***Example: Any government project/scheme related information sought by the citizen***
2	Forms Download	5.00	5.00	NIL	NIL	NIL	NIL	Inclusive of cost of print of one b/w. Re 1.00 per page (b/w) to be charged extra for extra prints of the requested forms. ***Example: Any citizen requested for downloadable forms related to government/educational institutions etc as may be available online.***

क. SCA कार्यरत रहने पर

3	Services requiring submission of data online	30.00	24.00	2.00	2.00	1.85	0.15	Includes cost of data entry and submission. Prints, if requested will be chargeable extra @ Re 1.00 per page (b/w) Service taxes and other taxes to be charged extra. ***Example: Such as online submission of applications for certificates/admissions/ licenses etc through available software.***
4	Services requiring online financial transactions	Rs 40.00	Rs 32.00	2.67	2.67	2.51	0.15	Print of MIS and other related misc. reports to be charged extra as above service taxes and other charges to be charged extra. ***Example: Online submission of forms combined with any payment of government revenue/ bills/fees/taxes etc made through a payment gateway.***
5	Data entry 1 to 10 fields. 11 to 25 fields. Over 25 fields	Rs 1.50 Rs 3.00 Rs 5.00	80%	33.3% (of rest 20%)	33.34 % (of rest 20%)	30. 83 % (of rest 20%)	2.50% (of rest 20%)	Service taxes and other taxes to be charged extra. ***Example: Any data entry/data digitization done by CSCs in the online or offline modes.***
6	Scanning of one A4 size document	Rs 5.00	4.00	0.34	0.33	0.33	NIL	Online submission of the scanned document on mail etc to be charged extra @ Rs 2.00 per document ***Example: Any activity related to scanning only (documents/photograph) given exclusively to CSCs.***
7	Photography (3 color pp photos)	Rs 15.00	12.00	1.00	1.00	1.00	NIL	Photography done exclusively such as MNREGA job card, ration cards etc.
8	Banking and financial inclusion including deposits by citizens and disbursal of wages and benefits by the Government	Rs 12.00 per live account per annum	9.60	0.80	0.80	0.65	0.15	Live account means any bank account that remains in live and is in operation and in which transactions have been happening regularly
9	e- Lagan	Rs. 40	32.00	2.67	2.67	2.51	0.15	As per serial no.4 as given above, VLE will charge Rs 40 from the citizen for the service requiring online financial transactions.
10	e-Mulakat	Rs. 30.00	24.00	2.00	2.00	1.85	0.15	Charges for online video conferencing. With the help of e-mulakat citizen may do video conferencing with their relatives and others. ***Example: Jail Video Conferencing/legal literacy conferencing etc. Service charge for video conference through e-mulakat will not be more than 15 minutes.***

12/10/18